# नीलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित दुकानों को वार्षिक ठेका वर्ष 2020–2021 (02.07.2020 से 31.03.2021) तक की अवधि के लिए दिनांक 01–07–2020 को प्रातः 11:00 बजे मींटीग हाल, भूतल लघु सचिवालय, चरखी दादरी की अध्यक्षता में कार्यालय उपायुक्त, चरखी दादरी में नीलाम किया जायेगा। सभी इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि निश्चित तिथि व समय पर पहुॅच कर नीलामी में हिस्सा ले।

1. फल / जूस / शीतल पेय
2. छपे हुए फार्म

शर्तेः–

1. अवयस्क के इलावा मानसिक रूप से स्वस्थ कोई भी व्यक्ति खुली नीलामी में भाग ले सकता है।
2. ठेके की अवधी 02.07.2020 से 31.03.2021 तक होगी।
3. बोलीदाता को रिहायश का प्रमाण पत्र व आधार कार्ड बोली देने से पहले पेश करना होगा।
4. बोलीदाता को फल / जूस / शीतल पेय व छपे फार्म के लिए नकद 20000 / – रूपये तथा अग्रिम राशि के रूप में बोली से पहले जिला नाजर के पास जमा करवाने होंगे। यदि किसी बोलीदाता द्वारा बोली नहीं उठाई जाती है तो उसकी अग्रिम राशि वापस कर दी जाएगी।
5. सफल बोलीदाता को कुल बोली राशि का 1/4 भाग मौके पर ही जमा करवाना होगा। शेष राशि 72 घण्टे के अन्दर जिला नाजर के पास जमा करवानी होगी, अन्यथा अग्रिम राशी जब्त कर ली जायेगी।
6. सफल बोली दाता को 10 / –रू0 का नोन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अहाता कचैहरी के सभी नियमों की अनुपालना करने बारे कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
7. उपायुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
8. जिस व्यक्ति के विरूद्ध इस कार्यालय का कोई बकाया होगा उसे बोली देनें का हक नहीं होगा।
9. उपायुक्त महोदय को बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करनें का पुरा अधिकार है इसके विरूद्ध कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जायेगी।
10. ठेकेदार ठेका किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा।
11. निर्धारित तिथि / समय तक राशि अदा न करनें पर ठेका बिना किसी नोटिस के रद्द किया जायेगा।
12. समय–समय पर अगर कोई हिदायतें सरकार से प्राप्त हुई तो ठेकेदार उनकी पालना करेगा।
13. सफल बोलीदाता को बिजली / पानी का प्रबन्ध अपने स्तर पर करना होगा तथा बिजली / पानी का कनैक्शन भी अपने स्तर पर लगवाना होगा।
14. अन्य शर्तें मौके पर बताई जाएगी।

Sunil

अधीक्षक

कृतेः उपायुक्त, चरखी दादरी।